



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN:U32201UP1999SGC024928

Advertisement No:05/Advocate/UPPCL/2021

(Only for 10 Districts namely- Banda, Chandauli, Jalaun, Maharaiganj, Sravasti, Amethi, Chitrakut, Lalitpur, Mahoba, Sant Kabir Nagar,)

Online application are invited from experienced advocates who are interested to be included in the empanelment list of distribution companies(i.e Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd, Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd and Dakshinanchal Vidyut Nigam Ltd) for cases in the District Court (Civil/Consumer Forum/Criminal/Lok adalat/CGRF etc.)

- Presently empanelled advocates also have to apply afresh.
- Advocate who applied earlier need not to apply again.

The eligibility criteria and other conditions are available on the official website of UPPCL www.upenergy.in under tab "Vacancy". In case of any query kindly mail it to legalcelluppclhq2012@gmail.com or contact at 0522-2288407 between 10.00 to 17.00hrs on any working day.

Online application form opening date-15-10-2021

Online application form closing date- 07-11-2021

B.Rai
Law Officer
HJS
UPPCL

कारपोरेशन का0ज्ञा0-1420 दि0 21.12.2018 द्वारा जारी अधिवक्ता नीति के नियम एवं शर्तों के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 तथा सहयोगी विद्युत वितरण कम्पनियों दक्षिणांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल के विरुद्ध समस्त जिला स्तरीय न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं को नियुक्त किये जाने के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। जिनकी योग्यता, शर्तें एवं सामान्य निर्देश निम्न प्रकार से है-

(क) मा0 जनपद न्यायालय एवं समस्तरीय न्यायालय हेतु

योग्यता की शर्तें :-

1. जनपद न्यायालयों में पैरवी करने हेतु कम से कम 07 वर्षों का अनुभव अनिवार्य होगा।
2. पैनल अधिवक्ता नामित करने हेतु अधिवक्ता को आयकर दाता होना चाहिये।
3. पैनल अधिवक्ता हेतु आवश्यक होगा कि उसके द्वारा पिछले 03 वर्षों में कम से कम 30 मुकदमों में पैरवी की गयी हो एवं कम से कम 15 मुकदमों में जीत/सफलता प्राप्त की हो।

(ख) चयन प्रक्रिया :-

1. अधिवक्ताओं के प्रस्ताव-पत्रों के जाँचोपरान्त संक्षिप्त सूची तैयार की जाएगी तथा साक्षात्कार के पश्चात अंतिम सूची तैयार की जाएगी।
2. कारपोरेशन द्वारा गठित त्रि-सदस्यीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य होगा।
3. किसी भी अधिवक्ता द्वारा किसी भी प्रकार की अनुचित दबाव/सिफारिश करना, प्रस्ताव के अस्वीकृत किये जाने का आधार हो सकेगा।
4. अधिवक्ता नीति के अनुसार अधिवक्ताओं से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की छँटनी करने के उपरान्त चयन सम्बन्धी कार्य समस्त डिस्कॉम(मु0) अपने-अपने कार्यालय स्तर से संपादित करेंगे।

सामान्य अनुदेश :-

1. अधिवक्ताओं को ई-मेल आई0डी0/मोबाइल से समिति के समक्ष निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाएगा।
2. अधिवक्ता की वैध ई-मेल आई0डी0 हो एवं प्रक्रिया के दौरान ई-मेल आई0डी0 तथा मोबाइल नम्बर सुचारू रूप से चालू अवस्था में हो।
3. ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट www.uppcl.org.com पर उपलब्ध प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।
4. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए कोई यात्रा-भत्ता/खर्च देय नहीं होगा।
5. आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु कारपोरेशन के ई-मेल Legalcelluppclhq2012@gmail.com एवं दूरभाष सं0-0522-2288407 पर 10:00AM से 05:00PM तक कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं।
6. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 07.11.2021 होगी।
उक्त के परिपेक्ष्य में विभिन्न समाचार पत्रों (दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला) जो उ0प्र0 राज्य स्तर पर प्रकाशित हों।